



प्रेस नोट

दिनांक -23.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए हुआ 01 इन्वर्टर, बैटरा व 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2024 को वादी श्री सुरेश कुमार पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना सहारनपुर ने रविदास मन्दिर से अज्ञात चोरो द्वारा इन्वर्टर बैटरा व दो ताबे की ढैग चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 25/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्कान संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आदेश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री कपिलदेव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दुमझेडा रोड पर कब्रिस्तान के पास से अभियुक्त वसीम पुत्र जिन्दा हसन निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर को 01 इन्वर्टर व 01 बैटरे सम्बन्धित अ0स0 25/2024 धारा 457/380/411 भादवि व 01 चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 40/2024 धारा 4/25 ए एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त वसीम पुत्र जिन्दा हसन निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0स0 27/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 293/22 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 299/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 25/2024 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 32/2024 धारा 379 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 40/2024 धारा 4/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

01. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
02. है0का0 494 योगेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक: 23-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.02.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त सलमान पुत्र शकील अहमद नि० वाल्मीकि कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 174/24 धारा 379 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर मा० न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (जू०डी०)/जे०एम०, सहारनपुर को थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सलमान पुत्र शकील अहमद नि० वाल्मीकि कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० उ०नि० अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का० 295 वीकेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का० 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22/02/24 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र साजिद 2. वारिस पुत्र नूरहसन 3. जानू उर्फ मुसरान पुत्र अलीशान 4. नौशाद पुत्र नबाब 5. मुर्सलीन पुत्र हासिम के द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास व वादिया के पिता एवं भाई के साथ मारपीट करने की सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 49/24 धारा 147/148/149/376/511/307/323 भा.द.वि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23/02/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा शातिर अपराधियों की धरपकड एवं अपराध की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र साजिद, 2. नौशाद पुत्र नबाब, 3. वारिस पुत्र नूरहसन व 4. मुर्सलीन पुत्र हासिम समस्त निवासीगण ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह सहारनपुर को ग्राम कुतुबखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सलमान पुत्र साजिद निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह सहारनपुर
2. नौशाद पुत्र नबाब निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह सहारनपुर
3. वारिस पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह सहारनपुर
4. मुर्सलीन पुत्र हासिम निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष मरोठिया थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 336 आमीन थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 23.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय एडीजे-15 द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.08.2016 को वादी श्री मोहित वित राणा पुत्र सुभाष चन्द निवासी मनियारान थाना बेहट जनपद सहारनपुर को अभियुक्तगण आबिद उर्फ ठेकेदार पुत्र गययूर निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा बॉये हाथ में गोली मारकर मोटरसाईकिल से भाग जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 279/2016 धारा 307 भादवि थाना बेहट पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 509/2024 पर माननीय न्यायालय एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 23.02.2024 को अभियुक्त आबिद उर्फ ठेकेदार पुत्र गययूर निवासी उपरोक्त को मु0अ0सं0 279/2016 धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता श्री सन्दीप सिंह

विवेचक उप निरीक्षक श्री जय कुमार मो0न0- 8445999939

पैरोकार का0 रवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर